<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261309 SG-DL-E-25022025-261309

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2025/फाल्गुन 6, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 420 No. 17] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946 [N. C. T. D. No. 420

भाग II—I PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सं. 06 /नियम/डीएचसी. - न्यायालय अवमान (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 23 के साथ पिठत भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य सभी आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की अवमान हेतु कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित नियम बनाता है:-

- 1. *संक्षिप्त शीर्षक*: इन नियमों को न्यायालय अवमान (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025 कहा जाएगा।
- 2. प्रारंभ: ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न हो:-

1412 DG/2025 (1)

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 से है।
- (ख) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
- (ग) "न्यायालय अवमान ", "सिविल अवमान" और "आपराधिक अवमान" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।
- (घ) " उच्च न्यायालय" का तात्पर्य दिल्ली उच्च न्यायालय है।
- (ड़) "न्यायाधीश" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश या भारत के संविधान के अनुच्छेद 224(क) के तहत नियुक्त न्यायाधीश से है।
- (च) "विधि अधिकारी" से ऐसा विधि अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 15 में अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, या ऐसे विधि अधिकारी की लिखित सहमित से कोई अन्य व्यक्ति।
- (छ) "निबंधक" में संयुक्त निबंधक, उप निबंधक या सहायक निबंधक शामिल होंगे, जैसा समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ज) "महानिबंधक" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के महानिबंधक से है।
- (झ) "ज़िला न्यायालय" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी न्यायालयों और अधिकरणों से होगा।
- (ञ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

4. <u>उच्च न्यायालय के सन्मुख अवमान:</u>

- (1) जब यह अभिकथित किया जाए या उच्च न्यायालय को अपने अवलोकन द्वारा यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में या उसके सुनते हुए किए गए अवमान का दोषी है तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकेगा और उसी दिन न्यायालय के उठने से पूर्व किसी भी समय या उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र -
 - (क) प्रपत्र-I में वर्णित तरीके से जहाँ तक संभव हो और जहाँ तक व्यवहार्य हो उसे उस अवमान की लिखित जानकारी कराएगा, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है;
 - (ख) अपने बचाव में उसे आरोप का प्रतिवाद करने का अवसर देगा;
 - (ग) ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो आवश्यक हो या जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाए और उस व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, चाहे तत्काल या स्थगन के पश्चात्, आरोप के मामले का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा; और
 - (घ) ऐसे आदेश पारित करेगा जो अधिनियम के धारा 12 के अंतर्गत परिकल्पित हों।
- (2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति जिस पर उस उप-नियम के अधीन अवमान का आरोप लगाया गया है, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, आवेदन करता है कि उसके विरूद्ध आरोप का विचारण उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीश (गण) से, जिसकी या जिनकी उपस्थित में या जिसके या जिनके सुनते हुए अपराध का किया जाना अभिकथित है, से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा किया जाए

और न्यायालय की राय है कि ऐसा करना न सिर्फ व्यवहार्य है बल्कि उचित न्याय प्रशासन के हित में भी है, तो आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए तो वह उस मामले को उसके विचारण हेतु उपयुक्त न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने के लिए मामले के तथ्यों के कथन सहित मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखवाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामले को, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश किसी बड़ी न्यायपीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश न दें, किसी खंड न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

(3) आरोप का अवधारण होने तक, न्यायालय निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति जिस पर इस धारा के अधीन अवमान का आरोप है, ऐसी अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए जैसी वह न्यायालय विनिर्दिष्ट करे:

बशर्ते कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप है, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, यदि प्रतिभुओं सहित या रिहत बंधपत्र निष्पादित कर दिया जाता है, जो उतनी रकम का है जितनी न्यायालय पर्याप्त समझता है और जिसमें यह शर्त है कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप है बंधपत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा और ऐसे ही हाजिर होता रहेगा जब तक की न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता:

बशर्ते यह भी कि, यदि न्यायालय उचित समझता है, तो ऐसे व्यक्ति से उसकी यथापुर्वोक्त उपस्थिति के लिए उसके द्वारा प्रतिभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, उसे उन्मोचित कर सकेगा।

- (4) उस व्यक्ति के किसी भी विचारण में, जिस पर उपनियम (1) के अधीन अवमान का आरोप है, जो उपधारा (2) के अधीन दिए गए निदेश के अनुसरण में उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशगण जिनकी उपस्थिति में या जिनके सुनते हुए अपराध का किया जाना अभिकथित है के अलावा न्यायपीठ द्वारा किया जाता है, यह आवश्यक न होगा कि वह न्यायाधीश या वे न्यायाधीश(गण) जिसकी या जिनकी उपस्थिति में या जिनके सुनते हुए अपराध का किया जाना अभिकथित है, साक्षी के रूप में उपस्थित हो या प्रति-परीक्षा के लिए विवश हों और उपनियम (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे गए कथन में जो भी कथित हो, को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।
- 5. (1) सिविल अवमान का संज्ञान लेने का तरीका: उच्च न्यायालय सिविल अवमान का संज्ञान लें सकता है -
 - (क) किसी व्यथित पक्ष या पक्षों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर; या
 - (ख) उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा उसके समक्ष रखी गई सूचना पर; या
 - (ग) ज़िला न्यायालयों की किसी सिविल अवमान के मामले में, उस न्यायालय द्वारा उसे संदर्भित किए जाने पर; या
 - (घ) स्वप्रेरणा से।
- (2) <u>उच्च न्यायालय के सन्मुख अवमान से भिन्न आपराधिक अवमान का संज्ञान लेने का तरीका :</u> उच्च न्यायालय आपराधिक अवमान का संज्ञान ले सकता है -
 - (क) विधि अधिकारी के प्रस्ताव या सिफारिश पर, या
 - (ख) विधि अधिकारी की पूर्व लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्ताव पर, या
 - (ग) ज़िला न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत अवमान निर्दिष्ट करने वाले संदर्भ पर या उसके द्वारा प्राप्त आवेदन पर; या

- (घ) उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा उसके समक्ष रखी गई सूचना पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके संज्ञान में लाई गई सूचना पर; या
- (ड) स्वप्रेरणा से।

बशर्ते कि स्वप्रेरणा से या अन्यथा अवमान हेतु कोई कार्यवाही उस तारीख से, जिस पर अवमान का आरोप लगाया गया हो, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात आरंभ नहीं की जाएगी।

- (3) नियम 5 के उप-नियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जब सूचना महानिबंधक सहित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट नहीं है, तो नियम 9 (3) में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 6. <u>याचिका के पक्षकार</u>: ऐसे मामलों को छोड़कर जहां कार्यवाही न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हो, याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति(यों) को याचिकाकर्ता(गण) और आरोपित व्यक्ति(यों) को प्रत्यर्थी(गण) कहा जाएगा।
- 7. याचिका की विषय-वस्तु: (1) प्रत्येक याचिका में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:
 - (क) याचिकाकर्ता(गण) और आरोपित व्यक्ति(यों) का नाम, विवरण और निवास स्थान;
 - (ख) अभिकथित अवमान की प्रकृति, तथा अभिकथित अवमान की तारीख (तारीखें) सहित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मामले के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
 - (ग) प्रत्येक याचिका में उस आचरण और सामग्री का पूर्ण विवरण होगा जिस पर याचिका आधारित है एवं कथित अवज्ञाकारी आचरण का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाएगा; तथा
 - (घ) यदि याचिकाकर्ता(गण) द्वारा समान तथ्यों पर पहले भी याचिका दायर की गई है, तो उसका विवरण तथा परिणाम भी याचिका में दर्शाया जाएगा।
 - (2) प्रत्येक याचिका पर उसमे वर्णित तथ्यों से परिचित याचिकाकर्ता(गण) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, तारीख डाली जाएगी तथा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के आधार पर उसे सत्यापित किया जाएगा।
 - (3) प्रत्येक याचिका के साथ याचिकाकर्ता (गण) और अवमान का अभ्यारोपण करने वाले व्यक्ति(यों) के शपथपत्र भी लगाया जाएगा।

शपथ-पत्र में वर्णित होगा –

- (i) याचिका में दिए गए कथनों में से कौन से कथन अभिसाक्षी के अपने ज्ञान से दिए गए हैं और कौन से सूचना या विश्वास के विषय हैं; और
- (ii) सूचना या विश्वास के किसी भी मामले का स्रोत।
- (4) जहां याचिकाकर्ता अपने अधिपत्य या अधिकार में किसी दस्तावेज़ (जों) पर निर्भर करता है, ऐसे दस्तावेज़ (जों) या उनकी सत्य प्रतियां याचिका के साथ दायर की जाएंगी।
- (5) याचिका और कार्यवाही में दायर दस्तावेज़ (जों) पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।
- (6) जहां लागू हो, याचिकाओं का दाखिल करना दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग नियम, 2021 द्वारा शासित होगा।

8. ज़िला न्यायालय द्वारा संदर्भ:

- (1) नियम 5(2) (ग) के अधीन ज़िला न्यायालय द्वारा किए गए सभी संदर्भों में, जहां तक लागू हो, नियम 7(1)(क) और (ख) में उल्लिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे।
- (2) ज़िला न्यायालय सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों या उनकी मूल प्रतियों को संदर्भ के साथ विधिवत् सत्यापित करके भेजेगा।
- (3) प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अलावा किसी ज़िला न्यायालय द्वारा नियम 5(2)(ग) के अधीन किए गए सभी संदर्भ संबंधित प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजे जाएंगे।
- (4) ऐसा संदर्भ प्राप्त होने पर, उच्च न्यायालय के निबंधक उसे याचिका के रूप में पंजीकृत करेंगे तथा न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।

9. <u>सूचीबद्ध करना और प्रारंभिक सुनवाई :</u>

- (1) सिविल अवमान से संबंधित प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ को, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, रोस्टर के अनुसार एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (2) आपराधिक अवमान से संबंधित प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ को, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश इसे बड़ी न्यायपीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्देश न दें, रोस्टर के अनुसार खंड न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (3) जब नियम 5(3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्रस्तुत की जाती है, तो उक्त सूचना/याचिका न्यायिक पक्ष में विचारार्थ नहीं रखी जाएगी, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चैंबर में आदेश हेतु रखी जाएगी। तत्पश्चात, मुख्य न्यायाधीश या तो अपने समक्ष रखी गई सूचना का स्वयं संज्ञान ले सकते हैं या अपने विवेकानुसार न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं।

10. संज्ञान के बाद की प्रक्रिया:

- (1) उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी (गण) और/या सरकार के स्थायी परामर्शदाता को जारी प्रत्येक नोटिस इन नियमों के साथ संलग्न क्रमशः प्रपत्र II और प्रपत्र III के अनुसार होगा तथा इसके साथ प्रस्ताव, याचिका या संदर्भ की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, शपथपत्रों की प्रतियों के साथ, यदि कोई हों, संलग्न होंगी।
- (2) प्रत्येक नोटिस पर उच्च न्यायालय की तारीख और मुहर अंकित होगी।
- (3) अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही का नोटिस प्रत्यर्थी (गण) को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए और कंपनियों, साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों या अन्य ऐसी संस्थाओं के मामले में ऐसी संस्थाओं के पंजीकृत पते पर दिया जाएगा।
- (4) जब कभी उच्च न्यायालय ऐसी कार्यवाही में नोटिस जारी करता है, तो वह प्रत्यर्थी (गण) को उनके व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और प्रत्यर्थी (गण) को वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमित दे सकता है, लेकिन कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी (गण) की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश भी दे सकता है और ऐसी उपस्थिति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता, 1973) या वर्तमान में लागू अन्य कानून के तहत उपलब्ध किसी भी तरीके के माध्यम से प्रवर्तन कर सकता है।

(5) यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि प्रत्यर्थी (गण) फरार है/हैं या उनके फरार होने की संभावना है या वह नोटिस की तामील से बच रहा है/बच रहे हैं, तो वह फॉर्म IV में गिरफ्तारी के लिए अधिपत्र जारी करने का आदेश दे सकता है, जो कि आपराधिक अवमान के मामले में अधिनियम की धारा 17(3) और (4) के अंतर्गत उसकी संपत्ति की कुर्की के बदले में या इसके अतिरिक्त हो सकता है।

11. <u>जमानत :</u>

(1) जब अवमान का आरोपी कोई व्यक्ति अभिरक्षा में रहते हुए या कार्यवाही के किसी चरण में उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, और वह जमानत चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शर्तों पर, जैसा उच्च न्यायालय अधिरोपित करें, ज़मानत पर, उच्च न्यायालय की संतुष्टि पर स्वायी बंधपत्र और प्रतिभू/प्रतिभूओं के प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस शर्त के भी अध्यधीन कि आरोपित व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहेगा और भाग लेगा, छोड़ दिया जायेगा।

बशर्ते कि यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो वह उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए स्वायी बंधपत्र के निष्पादन पर उसे रिहा कर सकता है अथवा जमानतदारों सहित या रहित बंधपत्र के निष्पादन की आवश्यकता से छूट दे सकता है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति जमानत पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, उच्च न्यायालय उसके पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने से इंकार कर सकता है।

12. उच्च न्यायालय के सन्मुख अवमान की कार्यवाही से भिन्न आपराधिक अवमान की कार्यवाही में विचारण।

- (1) अवमान का आरोपी व्यक्ति आरोप के उत्तर के रूप में अपना शपथपत्र, यदि कोई हो, दाखिल कर सकता है और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता(गण) को उसकी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले या उस संबंध में किसी अन्य तिथि को देनी होगी।
- (2) उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अन्य शपथपत्र या दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया जाएगा।
- (3) यदि ऐसा व्यक्ति आरोप के लिए दोषी होने का अभिवचन करता है, तो ऐसे अभिवचन को अभिलिखित किया जाएगा और उच्च न्यायालय जैसा वह उचित समझे दोषी होने के ऐसे अभिवचन पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है।
- (4) यदि ऐसा व्यक्ति अपराघ स्वीकार नहीं करता है और बचाव का दावा करता है, तो उच्च न्यायालय दायर शपथपत्र के आधार पर या ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात आरोप तय करेगा, जैसा आवश्यक हो और ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- (5) उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, जिसकी साक्षी के रूप में परीक्षण किया जाना है, तथा किसी दस्तावेज़ की प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण हेतु, आदेश दे सकता है।

13. दंडादेश पर कार्यवाही:

(1) यदि उच्च न्यायालय अवमानकर्ता को दोषी पाता है तो वह दंडादेश के बिंदु पर अवमानकर्ता की सुनवाई करेगा और अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित उचित आदेश पारित करेगा। यदि कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो इस न्यायालय के निबंधक द्वारा फॉर्म-V के अनुसार सुपुर्दगी अधिपत्र जारी किया जाएगा।

(2) यदि उच्च न्यायालय जुर्माने का दण्ड देता है और जुर्माना न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर अदा नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय कारावास सहित समुचित आदेश पारित करेगा।

14. *अपीलें:*

अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपीलें जहाँ तक प्रयोज्य हों उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 1-क(क) और 2-ग में निहित नियमों के अनुसार दायर की जाएंगी बशर्ते कि अवमानकर्ता द्वारा दायर अपील के ज्ञापन पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।

15. <u>अवमान कार्यवाही में प्रक्रिया :</u>

- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (2) याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पर आदेशिका की तामील के लिए प्रक्रिया शुल्क दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) जहां प्रत्यर्थी सरकार है, वहां उस व्यक्ति का नाम और पदनाम, जिस पर नोटिस तामील किया जाना है, कारण शीर्षक में दर्शाया जाएगा।
- (4) अवमान कार्यवाही में दायर किसी याचिका या दस्तावेज़ पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा।
- (5) ऐसे मामले में जहां कोई कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की जाती है, रजिस्ट्री आपराधिक अवमान या सिविल अवमान के मामले में पेपर बुक/ई-फाइल तैयार करेगी और उसकी प्रतियां प्रत्यर्थी (गण) को प्रदान करेगी या प्रत्यर्थी (गण) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करेगी। ऐसी पेपर बुक/ई-फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होंगे:
- (क) संदर्भ या प्रस्ताव।
- (ख) वह सामग्री जिस पर अवमान का आरोप लगाया गया हो।
- (6) उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 5-ख में निहित अभिलेखों की प्रतियां और अनुवाद प्रदान करने से संबंधित नियम, और दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-ट्रू कॉपी नियम, 2024, जहां तक प्रयोज्य हो, अधिनियम के तहत कार्यवाही को नियंत्रित करेंगे।
- (7) जब किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है, तो ऐसे साक्षियों को बुलाने का व्यय, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार यथा अवधारित किया जाएगा, निबंधक द्वारा आकस्मिकता निधि में से दिया जाएगा, बशर्ते कि न्यायालय ऐसी कार्यवाहियों हेतु किसी पक्षकार को ऐसे व्यय का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।
- (8) उच्च न्यायालय, अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार को उसके द्वारा निर्धारित लागत किसी अन्य पक्षकार को देने का निर्देश दे सकता है।
- (9) निबंधक का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को क्रियान्वित, लागू और निष्पादित करे और विशेष रूप से, जुर्माना लगाने या लागत अधिनिर्णीत करने वाले आदेशों में।

फॉर्म सं. ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के सन्मुख अवमान के अभियुक्त (गण) वे	के विरुद्ध आरोप ।
मैं,(उच्च न्यायालय के माननीय न्	यायाधीश का नाम), एतद् द्वारा आप
पर/आप लोगो पर	सार आरोप लगाता हूं:-
यह कि आपने, दिनांक, माह, (वर्ष)	, (समय), पर या
उसके आस-पास,) के संक्षिप्त सार } और इस प्रकार उच्च
न्यायालय के सन्मुख अवमान किया है।	
और मैं एतद् द्वारा निर्देश देता हूं कि आप पर उक्त आरोप के संबंध में इस न	ऱ्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए।
प्रश्न: क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या मुकदमे की मांग करते	हैं?
उत्तर:	
	(माननीय न्यायाधीश के हस्ताक्षर)
	दिनांक
फॉर्म सं. ॥	
अभियुक्त /आरोपी व्यक्ति को नोटिस	
(नियम 10 देखें)	
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली	
अवमान अभियोग (सिविल/आपराधिक) सं	_ वर्ष
	याचिकाकर्ता
बनाम	
	अभियुक्त
	-
सेवा में,	
(यहां अभियुक्त का नाम और पता बताएं)	
जबिकद्वारा सूचना, याचिका या	संदर्भ प्रस्तुत किया गया है कि आप
(यहाँ	•
गए आरोप का सार बताएं)।	
और चूंकि इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि आपके विरुद्ध न्य	ायालय अवमान अधिनियम, 1971 के
अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।	

आपसे एतद् द्वारा अपेक्षित है कि आप दिनांकमाहसन 20सन 20को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत् निर्देशित अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों तथा कारण बताएं कि न्यायालय की अवमान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।	
आज दिनांकमाहवर्ष 20 को मेरे हस्ताक्षर एव गया।	i इस न्यायालय की मुहर से जारी किया
	हस्ता./-
	(निबंधक)
	दिल्ली उच्च न्यायालय की मुहर सहित)
फॉर्म सं. III	
स्थायी परामर्शदाता को नोटिस	
(नियम 10 देखें)	
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली	
अवमान अभियोग (सिविल/आपराधिक) सं	वर्ष
	याचिकाकर्ता
बनाम	
	अभियुक्त
सेवा में,	
स्थायी परामर्शदाता (आपराधिक),	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,	
दिल्ली	
चूंकिद्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय की अवमान दर्ज है;	
कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त मामला माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई निर्धारित है और आपसे एतद्द् दवारा अनुरोध है कि आप इसका कार्यभार व्यवस्था करें।	

अभियोग से संबंधित कागजात की प्रतियां संलग्न हैं।	
आज दिनांकमाहवर्ष 20 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्य गया।	ायालय की मुहर से जारी किया
	हस्ता./-
	(निबंधक)
(दिल्ली	उच्च न्यायालय की मुहर सहित)
फॉर्म सं IV	
गिरफ्तारी अधिपत्र	
(नियम 10 देखें)	
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली	
अवमान अभियोग (सिविल/आपराधिक) सं	वर्ष 20
बनाम	વા વનાવાલા
	अभियुक्त
सेवा में,	
पुलिस उपायुक्त /संबंधित थाना प्रभारी	
चूंकि श्री/सुश्री	9 9
पर न्यायालय की अवमान क	
एतद्द द्वारा उक्त	
प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यदि उपर्युक्त नामित व्यक्ति को उपरोक्त तिथि, अक् से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायाल	

समय को छोड़कर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर विधि के अनुसार निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि पूर्वोक्त अभियुक्त इस न्यायालय में रुपये की धनराशि के साथ उतनी ही धनराशि की प्रतिभू के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई की उक्त तारीख को तथा सभी भावी तारीखों को जिन्हें मामले हेतु नियत किया जाए, उपस्थित होने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, तो उसे रिहा किया जा सकेगा।
आज दिनांकमाहवर्ष 20 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर से जारी
हस्ता./-
(निबंधक)
(दिल्ली उच्च न्यायालय की मुहर सहित)
फॉर्म नं. V
अवमान हेतु सुपुर्दगी अधिपत्र
(नियम 13 देखें)
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अवमान अभियोग (सिविल/आपराधिक) सं वर्ष वर्ष
याचिकाकर्ता
बनाम
अभियुक्त
सेवा में,
अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार/जेल सं
जबिक दिनांकमाह20को (अवमान करने वाले का पूरा नाम) को उपरोक्त
मामले में इस न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत इस न्यायालय/या
न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडादेश (दंड को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से बताए) दिया गया था।

आपको,......जेल के अधीक्षक को, उक्त अवमानकर्ता (अवमानकर्ता का नाम) को अपनी अभिरक्षा में लेने तथा उसे इस अधिपत्र के साथ जेल/सिविल जेल में परिरुद्ध करने तथा विधि के अनुसार उपरोक्त दंडादेश को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत और निर्देशित किया जाता है। आज दिनांक.....माहवर्ष 20..... को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

हस्ता./-

(निबंधक)

(दिल्ली उच्च न्यायालय की मुहर सहित)

नोट: ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेश से.

कंवलजीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 25th February, 2025

No. 06/Rules/DHC.—THE CONTEMPT OF COURTS (DELHI HIGH COURT) RULES, 2025

In exercise of the powers conferred under Article 215 of the Constitution of India read with Section 23 of the Contempt of Courts Act, 1971 and all other incidental powers and to regulate proceedings for contempt of the High Court of Delhi and the Courts subordinate to it, the High Court of Delhi hereby makes the following Rules:-

- 1. Short Title: These Rules may be called the Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025.
- **2.** <u>Commencement:</u> These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. <u>Definitions:</u> In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or the context:-
- (a) "Act" means the Contempt of Courts Act, 1971.
- (b) "Section" means a Section of the Act.
- (c) The expressions "Contempt of Court", "Civil Contempt" and "Criminal Contempt" shall have the same meaning as are assigned to them under Section 2 of the Act.
- (d) "High Court" means the High Court of Delhi.
- (e) "Judge" means a Judge or an Additional Judge of the High Court or Judge appointed thereto under Article 224A of the Constitution of India.
- (f) "Law Officer" means such Law Officer as the Central Government may, by notification in the official gazette specify in Section 15 of the Act, or any other person with the consent in writing of such Law Officer.
- (g) "Registrar" shall include the Joint Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar as may, from time to time, be specified by the Chief Justice.
- (h) "Registrar General" means the Registrar General of the High Court.

- (i) "District Court" shall mean all Courts and Tribunals under the administrative control of the High Court
- (j) All other words and expressions used in these Rules, but not defined herein, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

4. Contempt in the face of the High Court:

- (1) When it is alleged or appears to the High Court, upon its view, that a person is guilty of contempt committed in its presence or hearing, the Court may cause such person to be detained in custody, and at any time before rising of the Court on the same day, or as early as possible thereafter, shall
 - (a) cause him to be informed in writing of the alleged contempt with which he is charged, as far as may be and in so far as practicable, in the manner as described in Form I;
 - (b) afford him an opportunity to make his defence to the charge;
 - (c) after taking such evidence as may be necessary or as may be offered by such person and after hearing him, proceed, either forthwith or after adjournment, to determine the matter of the charge; and
 - (d) make such order as contemplated under Section 12 of the Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a person charged with contempt under that sub-rule applies, whether orally or in writing, to have the charge against him tried by a Judge other than the Judge or Judges in whose presence or hearing the offence is alleged to have been committed, and the Court is of the opinion that it is not only practicable to do so, but also that in the interest of proper administration of justice, the application should be allowed, it shall cause the matter to be placed, together with a statement of the facts of the case, before the Chief Justice to be placed before the appropriate bench for the trial thereof:

Provided that such matter, unless the Chief Justice directs it to be heard by a larger Bench, be listed for hearing before a Division Bench.

(3) Pending determination of the charge of contempt, the Court may direct that the person so charged shall be detained in such custody as it may specify:

Provided that the person accused shall be released on bail, if a bond for such sum of money as the Court thinks sufficient is executed, with or without sureties, upon the condition that the person charged shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to so attend until otherwise directed by the Court:

Provided further that the Court may, if it thinks fit, discharge him on his executing a bond without sureties for his attendance as aforesaid.

- (4) In any trial of a person charged with contempt under sub-rule (1), in pursuance of a direction given under sub-rule (2), by the Bench other than of the Judge or Judges in whose presence or hearing the offence is alleged to have been committed, it shall not be necessary for the Judge or Judges in whose presence or hearing the offence is alleged to have been committed to appear as a witness or be subject to cross-examination, and the statement placed before the Chief Justice under sub-rule (2) shall be treated as evidence of what is stated therein.
- **5.** (1) <u>Mode of taking cognizance of Civil Contempt:</u> The High Court may take cognizance of civil contempt
 - (a) on a petition presented by a party or parties aggrieved; or
 - (b) on information laid before it by the Registrar General of the High Court; or
 - (c) in case of any civil contempt of district courts, on reference made to it by that Court; or
 - (d) suo motu.

(2) <u>Mode of taking cognizance of Criminal Contempt other than contempt in the face of the High Court:</u> The High Court may take cognizance of criminal contempt –

- (a) on the motion or recommendation of the Law Officer; or
- (b) on the motion of any other person with the prior consent in writing of the Law Officer; or
- (c) on a reference specifying the contempt under Section 15(2) of the Act by a district Court or on an application received by it; or
- (d) on information laid before it by the Registrar General of the High Court or brought to its notice by any other person; or
- (e) suo motu.

Provided that no proceedings for contempt either on its own motion or otherwise shall be initiated after the expiry of one year from the date on which the contempt is alleged to have been committed.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) of Rule 5, when information is presented by a person not referred to in Section 15 of the Act, including the Registrar General, the procedure as contained in Rule 9 (3) would be followed.
- **6. Parties to the petition:** Except where the action is initiated by court suo motu, the person(s) who presents the petition, shall be named as the petitioner(s) and the person(s) charged as the respondent(s).
- 7. <u>Contents of the petition</u>:(1) Every petition shall contain
 - (a) the name, description and place of residence of the petitioner(s) and the person(s) charged;
 - (b) nature of the contempt alleged, and such material facts, including the date(s) of commission of the alleged contempt, as may be necessary for proper determination of the matter;
 - (c) every petition shall contain complete particulars of the conduct and material upon which the petition is founded and shall distinctly state the particulars of the alleged contumacious conduct; and
 - (d) if a petition has previously been made by the petitioner(s) on the same facts, the details, as well as the result thereof, shall also be indicated in the petition.
 - (2) every petition shall be signed, dated and verified on solemn affirmation by the petitioner(s) acquainted with the facts stated in the petition.
 - every petition shall also be supported by an affidavit of the petitioner(s) and the person(s) imputing contempt.

The affidavit shall state-

- (i) which of the statements made in the petition are made from the deponent's own knowledge and which are matters of information or belief; and
- (ii) the source for any matters of information or belief.
- (4) Where the petitioner relies upon a document(s) in his/her possession or power, such document(s) or true copies thereof shall be filed along with the petition.
- (5) No court fee shall be payable on the petition, and document(s) filed in the proceedings.
- (6) Where applicable, the filing of petitions shall be governed by the e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021.

8. Reference by the district court:

(1) All references made by the district court under rule 5(2) (c) shall contain the particulars as mentioned in rule 7(1)(a) and (b), so far as applicable.

- (2) The district court shall transmit all relevant documents or true copies thereof, duly attested along with the reference.
- (3) All references made under rule 5(2) (c) by the district court, other than the Court of Principal District and Sessions Judge, shall be forwarded through the concerned Principal District and Sessions Judge to the Registrar General of the High Court.
- (4) On receipt of such reference, the Registrar of the High Court shall register the same as a petition and list it before the Court.

9. <u>Listing and Preliminary Hearing:</u>

- (1) Every petition, motion or reference concerning civil contempt shall, unless directed otherwise by the Chief Justice, be listed before a Single Judge as per roster.
- (2) Every petition, motion or reference concerning criminal contempt shall, unless the Chief Justice directs it to be heard by a larger Bench, be listed for hearing before a Division Bench as per roster.
- (3) When information is presented by any one referred in Rule 5 (3), the said information/petition shall not be placed for consideration on the judicial side, but shall be placed before the Chief Justice for orders in chambers. The Chief Justice may thereafter, either take cognizance on his own of the information placed before him or in his discretion consult other judges of the Court.

10. <u>Procedure after cognizance:</u>

- (1) Every notice to the respondent(s) and/or the Standing Counsel of the Government issued by the High Court shall be in Form II and Form III respectively, as appended to these Rules, and shall be accompanied by a copy of the motion, petition or reference, as the case may be, together with copies of the affidavits, if any.
- (2) Every notice shall bear the date and seal of the High Court.
- (3) Notice of every proceeding under the Act shall be served personally on the respondent(s), unless directed otherwise and in the case of companies, partnership firms, trusts or other such entities, at the registered address of such entities.
- (4) Whenever the High Court issues notice in such proceedings, it may dispense with the personal attendance of the respondent(s) and permit the respondent(s) to appear through counsel but may, at any stage of the proceedings, direct the personal presence of the respondent(s) and enforce such presence including through any mode(s) available under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(earlier Code of Criminal Procedure, 1973) or other law for the time being in force.
- (5) The High Court, if satisfied, that the respondent(s) is/are absconding or likely to abscond or is/are avoiding service of the notice, order the issuance of warrants for arrest in Form IV which, in the case of criminal contempt, may be in lieu of or in addition to the attachment of his property under Section 17(3) and (4) of the Act.

11. <u>Bail</u>:

(1) When any person accused of contempt appears or is brought before the High Court while in custody or at any stage of the proceedings, and seeks bail, such person shall be released on bail subject to furnishing a personal bond and surety / sureties to the satisfaction of the High Court on such conditions, including the condition that the person accused shall remain present and attend the proceedings, as the High Court may impose:

Provided that the High Court may, if it thinks fit, release him upon execution of personal bond, ensuring his attendance or may dispense with the requirement of execution of a bond with or without sureties.

(2) Notwithstanding, anything contained in sub-rule (1), where a person fails to comply with the conditions stipulated in the bail bond, High Court may decline him bail, having regard to his past conduct.

12. <u>Trial in proceedings for criminal contempt other than proceedings for contempt in the face of the High Court.</u>

- (1) A person charged with contempt may file his/her affidavit, if any, by way of reply to the charge and shall serve a copy thereof on the petitioner(s) on or before the date fixed for his/her appearance or on any other date in that behalf.
- (2) No further affidavit or document shall be filed, except with the leave of the High Court.
- (3) If such person pleads guilty to the charge, such plea shall be recorded and the High Court may pass such order on the plea of guilt, as it deems fit.
- (4) If such person does not plead guilty and claims defence, the High Court shall decide the charge either on the affidavit(s) filed or after taking such further evidence, as may be necessary, and pass such order as it deems fit.
- (5) The High Court may make orders for securing the attendance of any person to be examined as a witness and for discovery or production of any documents.

13. Proceedings on Sentence:

- (1) If the High Court holds the contemnor guilty, it shall hear the contemnor on the point of sentence and shall pass appropriate orders as envisaged under Section 12 of the Act. In case a sentence of imprisonment is passed, the warrants of committal as provided in Form-V will be issued by the Registrar of this Court.
- (2) If the High Court awards a sentence of fine and the fine is not paid within such time as may be allowed by the Court, the High Court shall pass appropriate orders including for imprisonment.

14. Appeals:

Appeals under Section 19 of the Act shall be filed in accordance with the rules contained in Chapters 1-A(a) and 2-C of Volume V of High Court Rules and Orders insofar as the same may be applicable, provided that no court fee shall be payable on the memorandum of appeal filed by a contemnor.

15. Procedure in Contempt Proceedings:

- (1) Every person against whom proceedings are initiated under the Act may, as a matter of right, be defended by an Advocate of his choice.
- (2) The petitioner shall not be required to file the process fee for service of process on the respondent.
- (3) Where the respondent is the Government, the name and designation of the person upon whom notice is to be served shall be shown in the cause title.
- (4) No court fee shall be payable on any petition or any document filed in contempt proceedings.
- (5) In a case where any proceedings are initiated suo motu by the High Court, the Registry shall prepare the paper book/e-file in a case of criminal contempt, or civil contempt, and provide copies thereof to the respondent(s) or share the same with the respondent(s) electronically. Such paper book/e-file shall consist of the following documents:
 - (a) Reference or motion.
 - (b) The material alleged to constitute contempt.

- (6) The rules relating to the grant of copies and translation of records contained in Chapter 5-B, of Volume V of High Court Rules and Orders, and in the e-True Copy Rules of the Delhi High Court, 2024 shall, insofar as may be applicable, govern proceedings under the Act.
- (7) When any person is summoned by the High Court to appear as a witness in any proceedings under the Act, the expenses of summoning such witnesses, as determined according to the rules for the time being in force, shall be paid by the Registrar out of the Contingency Fund, provided that the Court may direct any party to such proceedings to pay such expenses.
- (8) The High Court may direct any party to a proceeding under the Act to pay the costs thereof as determined by it to any other party thereto.
- (9) It shall be the duty of the Registrar to carry out, enforce and execute the orders passed by the High Court in any proceeding under the Act, and in particular, orders imposing fine or awarding costs.

FORM NO. 1

CHARGES AGAINST PERSON(S) ACCUSED TO HAVE COMMITTED CONTEMPT IN THE FACE OF THE HIGH COURT OF DELHI.

I,	ligh Court}, hereby charge you
That you, on or about the day of	(year) at
And I hereby direct that you be tried by this Court on the said charge.	
Q. Do you plead guilty or claim trial? Ans.	
	(Signature of the Hon'ble Judge)
	Date

(With Seal of High Court of Delhi)

FORM NO. II

Notice to the Person Charged / Accused (See Rule 10)

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

CONT. CASE (CIVIL / CRIMINAL) No of 20
Vs.
To,
(Here mention the name and address of the accused)
Whereas information is laid / a petition or Reference is made by that yo
accusation made in the information, petition or reference).
And whereas this Court is of the prima-facie view that you are liable to be proceeded against under the Contempt of Courts Act, 1971.
You are hereby required to appear in person or by an Advocate duly instructed on
Given under my hand and the seal of this Court on this day of
Sd/-
(Registra

FORM NO. III

Notice to the Standing Counsel (See Rule 10)

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

	CONT. CASE (CIVIL / CRIMINAL) No of 20
	Vs.
То,	
The Sta	anding Counsel (Criminal),
Govern	ment of NCT of Delhi,
Delhi.	
referen	Whereas a case is registered under the Contempt of Courts Act, 1971, against the accused aforesaid upon a ce made by
	Copies of the papers relating to the case are enclosed herewith.
	Given under my hand and the seal of this Court on this day of
	Sd/-
	(Registrar

(With Seal of High Court of Delhi)

(With Seal of High Court of Delhi)

FORM NO. IV

Warrants of Arrest (See Rule 10)

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

CONT. CASE (CIVIL / CRIMINAL) No of 20	
Petition	ıer
Vs.	
Accus	ed
To,	
The Deputy Commissioner of Police	
/ SHO concerned.	
Whereas Mr./Ms	ied the
If the accused aforesaid binds himself in a sum of Rs to this Court with one surfor a like sum before the Magistrate to appear on the said date of hearing and all future dates to which the case may posted, he may be released.	
Given under my hand and the seal of the Court on this the day of	
S	d/-
(Registr	ar)

FORM NO. V

Warrants of Commitment for Contempt (See Rule 13)

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
CONT. CASE (CIVIL / CRIMINAL) No of 20
Vs. Petitioner
To,
The Superintendent,
Central Jail / Jail No
Whereas on the day of
This is to authorize and direct you, the Superintendent ofJail to receive the said contemno (contemnor's name) into your custody and to confine him in prison/civil prison together with this warrant and carry the aforesaid sentence into execution according to law.
Given under my hand and the seal of the Court on this the day of
Sd/-
(Registrar
(With Seal of High Court of Delhi

NOTE: THESE RULES SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court KANWALJEET ARORA, Registrar General